eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Jan 2018

इस्लामी धार्मिक रूढ़िवाद और फतवे

[1]मनीष पटेल
[1]सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी

Received: 01 Jan 2018, Accepted: 15 Jan 2018 ; Published on line: 31 Jan 2018

Abstract

वैश्वीकरण धार्मिक रूढ़िवाद किसी धर्म के व्यक्ति द्वारा उस धर्म के मूल सिद्धान्तों में विश्वास, उनके मौलिक सिद्धान्तों में आस्था या प्रतिबद्धता का वह रूप है जो धर्मांधता की सीमाओं को छूती है। जब किसी धर्म–विशेष के मतावलम्बियों द्वारा सारी दुनिया में अपने परम्परागत धर्म को अतिंम सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तो यह धार्मिक रूढ़िवाद कहलाता है।

Keywords- इस्लामी धार्मिक रूढ़िवाद, परम्परागत धर्म, फतवे, आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया।

परिचय

वैश्वीकरण धार्मिक रूढ़िवाद किसी धर्म के व्यक्ति द्वारा उस धर्म के मूल सिद्धान्तों में विश्वास, उनके मौलिक सिद्धान्तों में आस्था या प्रतिबद्धता का वह रूप है जो धर्मांधता की सीमाओं को छूती है। जब किसी धर्म–विशेष के मतावलम्बियों द्वारा सारी दुनिया में अपने परम्परागत धर्म को अतिंम सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तो यह धार्मिक रूढ़िवाद कहलाता है।

धार्मिक रूढ़िवाद धर्म का विलोम है, धर्म का शोषक है, जो सामान्य हितों को त्याग कर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु धर्म को भ्रष्ट माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। धार्मिक रूढ़िवाद विवेक सम्मत एवं वैज्ञानिक दृष्टि का विरोधी और परम्परोन्मुख होता है। इस दृष्टि से यह दुनियां के लगभग सभी देशों में नवीनता एवं परिवर्तन का विरोध करके सामाजिक–आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बाधित करता है।

धार्मिक रूढ़िवाद : वैश्विक समस्या– 1979 में ईरान मे अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में धार्मिक रूढ़िवाद की शुरूआत हुई। धीरे–2 यह रूढ़िवादिता विश्व के अनेक देशों में फैल गई। हाल के वर्षों में इसने विश्व सभ्यता के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी है जैसे–

1. धार्मिक रूढ़िवाद ने समकालीन विश्व में धार्मिक पुनर्उत्थानकी प्रवृत्ति को तीव्र किया जिससे धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई और आधुनिक समाज के निर्माण का प्रयास कमजोर हुआ है।
2. इसने विश्व के कमोबेश सभी देशों में साम्प्रदायिक तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि को संभव बनाया है और वैश्विक स्तर पर सभ्यताओं के मध्य संघर्ष की संभावना को पुष्ट किया है। भारत में हिन्दू मुस्लिम संघर्ष; मध्य पूर्व में इस्लाम, जुडाईज्म और पश्चिमी क्रिश्चियन के बीच संघर्ष; पाकिस्तान में

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Jan 2018

शिया एवं सुन्नी के बीच संघर्ष या फिर भारत के पंजाब सिख एवं डेरा सच्चा सौदा के बीच संघर्ष इस तथ्य को परिलक्षित करते हैं।

3. विश्व के लगभग सभी देशों में धार्मिक रूढ़िवाद ने विवेक सम्मत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करके धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है।

धार्मिक रूढ़िवाद : लक्षण– धार्मिक रूढ़िवाद के निम्न लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं–

1. एक धार्मिक रूढ़िवादी अपने धर्म समुदाय अथवा उनसे जुड़े विश्वास व्यवस्था को अनिवार्य, यथेष्ट तथा पूर्णतः प्रमाणित मानता है।

2. रूढ़िवादी कभी समझौतावादी नहीं होते है बल्कि अपने विश्वास में धर्मान्ध एवं स्वरूप में आक्रामक होते है।

3. धार्मिक रूढ़िवाद के सिद्धान्त अनुल्लंघनीय, आक्षरिक, निःरकुश तथा बाध्यकारी होते हैं। यह केवल अधिरोपण की भाषा ही समझता है और अपने मत को सही मानते हुए समस्त समाज को उसे मत को मानने पर बल देता है।

4. धार्मिक रूढ़िवाद का स्वयं का मत होता है वह भले धर्म में हो या न हो परन्तु रूढ़िवाद अपने मत को तर्क द्वारा या धर्म की पुनर्व्याख्या द्वारा धर्मसम्मत कर देता है।

5. धार्मिक रूढ़िवाद विज्ञान एवं विवेकवाद दोनों का अस्वीकार करता है।

6. धार्मिक रूढ़िवादी अपने व्यवहार में उग्रता को प्रदर्शित करते हैं।

धार्मिक रूढ़िवाद की उत्पत्ति के कारण –

वैश्विक स्तर पर धार्मिक रूढ़िवाद की घटना के कई कारण रहे हैं, जैसे–

1. तीव्र सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न सामाजिक उथल पुथल और पहचान–संकट धार्मिक रूढ़िवाद के उद्‌भव का एक प्रमुख कारण रहा है। क्योंकि यह न केवल पहचान संकट का समाधान प्रस्तुत करता है बल्कि एक अच्छे पूर्ववर्ती युग के वापसी का वादा भी करता है।

2. धर्म आधारित नृजातिकेन्द्रीयता की भावना एवं इसकी प्रतिक्रिया भी धार्मिक रूविवाद के उ्दभव हेतु प्रमुख रहा है। इस्लाम में शिया–सुन्नी संघर्ष और भारत में हिन्दू–मुस्लिम संघर्ष के पीछे यह एक प्रमुख कारण रहा है।

3. रूढ़िवाद व्यक्ति या संगठनों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों को व्यापक स्तर पर धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव एवं प्रसार के लिए उत्तदायी ठहराया जा सकता है। इस्लामिक रूढ़िवाद के प्रसार में ओसामा–बिन–लादेन का प्रयास इसका प्रमुख उदाहरण है।

4. विभिन्न व्यक्तियों या राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में बने रहने या सत्ता की प्राप्ति हेतु मतों को लामबंद करने एवं जनसमर्थन को प्राप्त करने की दिशा में धार्मिक भावना का प्रयोग भी धार्मिक रूढ़िवाद के उद्‌भव का एक प्रमुख कारक रहा है।

इस्लाम का धार्मिक रूढ़िवादिता से ग्रस्त होना–

इस्लाम भी धार्मिक रूढ़िवादिता से ग्रस्त है। इस्लाम के उदय के समय की तत्कालीन परिस्थतियों के सन्दर्भ में बनाए कुछ नियम कानून आज आप्रासंगिक हो गये हैं परन्तु इस्लाम धर्म की रूढ़िवादी ताकतें उसे वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में समायोजित नहीं करना चाहती। कुछ फतवे इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Jan 2018

फतवा : अर्थ– 'फतवा' अरबी भाषा का शब्द है और जिसका तात्पर्य है 'हुक्म सादिर करना' अर्थात यह बताना कि हुक्म क्या है, यह जानने की जब जरूरत आ जाए तब फतवे की जरूरत होती है। किसी सवाल का जबाब कुरान, हदीस और इस्लामी शरीयत की रोशनी में बताया जाना ही फतवा है। फतवा केवल उन्ही मामलों में जारी किया जा सकता है जो शरा से जुड़े हों, जिससे यह देखना जरूरी हो कि कुरान और हदीस क्या कहता है? यदि कोई मसला शरीअत से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर मुफ्ती उस पर फतवा जारी नहीं कर सकता है।

फतवा जारी करने वाले पदाधिकारी– फतवा केवल मुफ्ती जारी कर सकता है। मुफ्ती एक तरह का कोर्स होता है जो आलिम और फाजिल के बाद होता है। मुफ्ती का कोर्स पूरा करने बाद ही व्यक्ति फतवा जारी करने के लिए अधिकृत होता है। फतवा एक अकेला मुफ्ती ही जारी कर सकता है। लेकिन बेहतर यह माना जाता है कि कई मुफ्ती मिलकर सामूहिक विचार विमर्श के बाद फतवा जारी करें। इस कारण बड़े इस्लामिक संस्थानों जैसे नदवा कालेज (लखनऊ) तथा दारूल उलूम (सहारनपुर) में फतवे जारी करने के लिए पृथक–2 विभाग हैं। इन विभागों को दारूल इफ्ता कहा जाता है। अगर किसी मसले पर फतवा लेना होता है तो प्रकरण लिखकर दारूल इफ्ता में देना होता है। मुफ्ती कुरान शरीफ और हदीस की रौशनी में बताते हैं कि क्या उचित है?

फतवा मानने की बाध्यता– उलेमाओं के अनुसार फतवा केवल राय है। कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को फतवों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म का मतावलंबी है तो वह कुरान, हदीस तथा शरा के खिलाफ कैसे जा सकता है?

कुछ चर्चित फतवे–

1. जून 2005 में मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) की एक महिला इमराना का उसके ससुर द्वारा बलात्कार किया गया। महजबी लोगों ने फतवा जारी करते हुए कहा कि ''उसका निकाह टूट गया है, वह अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है। उनका साथ रहना हराम है।''

2. अगस्त 2005 में देवबंद के दारूल उलूम ने फतवा जारी करते हुए कहा कि ''मुस्लिम महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अगर उन्हें चुनाव लड़ना ही है तो पर्दे में रहकर लड़े।''

3. लेखक सलमान रश्दी के विरुद्ध उनके उपन्यास 'सेटेनिक वर्सेज' तथा लेखिका तस्लीमा नसरीन के विरुद्ध उनके उपन्यास 'लज्जा' पर इस्लामी कट्टरपंथियों को ऐतराज रहा है और उन्होंने इनके विरुद्ध फतवे जारी किए हैं।

4. जुलाई 2007 में देवबंद के दारुल उलूम ने फतवा जारी करते हुए सह शिक्षा को इस्लाम के विरुद्ध बताया।

5. अगस्त 2007 में देवबंद के दारूल उलूम ने लड़कियों के जीन्स पहनने के विरुद्ध फतवा जारी किया।

6. मई 2010 में देवबंद के दारुल उलूम परिवार के भरण पोषण हेतु मुस्लिम महिलाओं को मर्दों के मेलजोल वाले माहौल में नौकरी करने को गैर इस्लामी घोषित करते हुए इसकी आमदनी को नाजायज होने का फतवा जारी किया।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Jan 2018

7. जुलाई 2010 में सऊदी अरब से यह फतवा जारी हुआ कि मर्दों के साथ काम करने वाली महिलाओं को अपने सहकर्मी पुरूषों को अपना दूध पिला देना चाहिए ताकि वे पुरूष महरम (उनके बेटे के समान) हो जाए। इससे दुराचार की आशंका खत्म जाएगी। '

8. इंग्लैंड के एक मौलाना ने फतवा जारी करते हुए सलाह दी कि उन्हें खीरा और केला नहीं छूना चाहिए क्योंकि उनको छूने से महिलाओं के मन में गन्दे विचार आते हैं।

9. 2011 में सोमालिया में समोसे के खाने को हराम घोषित कर दिया क्योंकि समोसे की आकृति ईसाई होली ट्रिनिटी से मिलती थी ।

10. मिस्र के सलाफी शेख ने टमाटर को मुस्लिमों के लिए सही नहीं माना क्योंकि टमाटर को काटने पर उसमें क्रॉस की तरह की आकृति दिखाई देती है।

11. 2014 में आईएसआईएस ने फतवा जारी कर कहा कि महिलाओं को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि महिलाएं जब इस तरीके से मूव करती है तो ये ये मर्दों को उत्तेजित करता है।

12. सऊदी अरब के शाही इमाम ने फतवा दिया कि अगर कोई शौहर भूखा है तो भूख मिटाने के लिए वह अपनी पत्नी के अंगों को काटकर खा सकता है।

13. 2006 में रशद हसन खलील ने फतवा जारी कर कहा था कि नग्न होने पर यौन संभोग में शामिल होने वालों का विवाह अमान्य करार दिया जाएगा।

14. 2018 में देवबन्द ने फतवे जारी कर हलाला को गैर इस्लामिक बताया था। अनजान आदमी से मेहंदी लगवाने, सी.सी.टी.वी लगवाने व जीवन बीमा करवाने को भी नाजायज करार दिया था। शिया मुस्लिमो की इफ्तार पार्टी और शादी की दावत से सुन्नियों को दूर रहने का फरमान भी जारी किया था। महिलाओं के फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को भी गैर इस्लामिक ठहराया गया। औरतों के घर से बाहर निकालने को गैर जरूरी बताकर पुरुष साथी की उपस्थिति में ही बाहर जाने का फतवा जारी किया था।

इसके अतिरिक्त भी समय–2 पर तरह–2 के फतवे जारी होते आये हैं जैसे दाढ़ी रखने के विरुद्ध फतवा तथा कश्मीरी महिला बैंड के विरुद्ध फतवा आदि।

फतवों पर होने वाले विवादों के सन्दर्भ में जुलाई 2014 में अपने महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि–

(क) देश की किसी भी कानूनी अदालत के सामने फतवे की कोई अहमियत नहीं है।

(ख) शरई अदालतें उन मामलों में दखल न दें जिनमें उनसे कोई मदद नहीं मांगी गई है। (ग) ऐसे फतवों को जारी करने से बचा जाए जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा आजादी का उल्लंघन होता है।

उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म को समय के साथ अपनी धार्मिक मान्यताओं में कुछ परिवर्तन अवश्य करना होगा। शरई अदालतों को भी यह समझना होगा कि यदि

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 01, Jan 2018

इंसाफ व नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उनका स्वयं का अस्तित्व संवैधानिक न्याय प्रणाली द्वारा सदैव के लिए खत्म किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. पाण्डेय, एस. एस. (2010), 'समाजशास्त्र'
टाटा मेक्ग्राहिल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0 7.20
2. शुक्ल, आशुतोष (2006); 'मन मुताबिक व्याख्या से उपजे सवाल'
दैनिक जागरण, आगरा, 12 नवम्बर, पृ0 9
3. नदीम (2005); 'फतवों से चलती दुनिया'
दैनिक जागरण, आगरा, 3 जुलाई
4. यादव, श्यामलाल (2005), 'फिर मजहब का मजाक'
इंडिया टुडे, नई दिल्ली, 5 सितम्बर, पृ032
5. अहमद, फरजंद (2005), 'फतवे का बढ़ता कहर'
इंडिया टुडे, नई दिल्ली, 4 जुलाई, पृ. 28
6. 'फतवों की जकड़बंदी' (2007), हिंदुस्तान, आागरा, 9 जुलाई
7. 'फतवों के निहितार्थ' (2007), हिंदुस्तान, आगरा, 20 अगस्त
8. आलम, खुर्शीद (2010), 'खातून और नौकरी'
अमर उजाला, आगरा, 24 मई
9. आलम खुर्शीद (2010), 'फतवे कैसे कैसे'
अमर उजाला, आगरा, 13 जुलाई
10. अजीम, अहमद (2014), 'फतवे हैं फतवों का क्या'
इंडिया टुडे, नई दिल्ली, 23 जुलाई, पृ. 38
11. असगर पंडित (2017), 'फतवा, फतवा... आखिर ये फतवा क्या है ?'
स्ंससंदजवच ल्वनजनइम, 16 मार्च
12. 'महिलाओं के खिलाफ जारी 10 अजीबोगरीब फतवे (2018)
amarujala.com, 16 जुलाई